न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 106/2012 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. राजेन्द्र उर्फ राजवीरसिंह दत्तक पुत्र मु0 गिन्दोडी बेवाह रूडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांकर उप तहसील नीमराना तहसील बहरोड जिला अलवर राज0 ।

.... अपीलांट

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति राजपूत,
2. लालसिंह उर्फ कंवरसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति राजपूत,
3. ओमप्रकाश पुत्र जय भगवानसिंह जाति राजपूत,
4. विजेन्द्र सिंह पुत्र जय भगवानसिंह जाति राजपूत,
5. सत्यवीरसिंह पुत्र जय भगवानसिंह जाति राजपूत,
6. महावीरसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति राजपूत,
7. दलीपसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति राजपूत,
8. सुलतानसिंह पुत्र श्री हरदेवसिंह जाति राजपूत,
9. राम अवतारसिंह पुत्र श्री हरदेवसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम कांकर उप तहसील नीमराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।

.... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–

1. श्री रामबाबू कौशिक अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रविन्द्र कुमार अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4, 5

::: निर्णय :::

दिनांक :–10.05.2017

यह अपील विद्वान सहायक जिलाधीश, बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.98 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 489 रकबा 5 बिस्वा, 488 मिन रकबा 1 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 198 रकबा 6 बिस्वा, साबिक ख0 नं0

अधिकारी एवं पदेन
... अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

490 मिन रकबा 16 बिस्वा जिसका हाल ख0 नं0 199 रकबा 16 बिस्वा साबिक ख0 नं0 484 मिन रकबा 4 बीधा 14 बिस्वा जिसका हाल नं0 229 रकबा 4 बीधा 14 बिस्वा व साबिक ख0 नं0 483 मिन रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा जिसका हाल ख0 नं0 231 रकबा 5 बीधा 8 बिस्वा व साबिक ख0 नं0 572 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा जिसका हाल नं0 834 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा व साबिक ख0 नं0 570 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा, 575 मिन रकबा 1 बिस्वा, साबिक ख0 नं0 571 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा जिसका हाल ख0 नं0 843 रकबा 1 बीधा 15 बिस्वा साबिक ख0 नं0 570 मिन रकबा 19 बिस्वा हाल ख0 नं0 844 रकबा 19 बिस्वा व हाल ख0 नं0 839 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा कायम हुए है जिस आरजी में से 1/2 भाग दावा में विवादित आराजी है । उक्त सालिम आराजीयात रामसिंह, रामबक्स पि0 धनसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की थी जो रामबक्स के निरफ भाग पर उसकी मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र गगनसिंह काबिज हो गया व निरफ भाग पर रामसिंह काबिज रहा और रामसिंह का भी देहान्त हो चुका है । इस प्रकार विवादित आराजी मिन वादनी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान रामसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की थी । गगनसिंह अपने चाचा रामबक्स के गौद चला गया । इस कारण रामसिंह की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर उसके तीन पुत्र बहिस्से बराबर 1/3–1/3 भाग पर शामलात में काबिज हो गये व काश्त करते रहे बाद में रूडसिंह का देहान्त हो गया जिसकी एक मात्र वारिस वादनी उसकी विधवा है और मेरे हक में इन्तकाल विरासत हो गया । इस प्रकार रूडसिंह के 1/3 भाग पर वादनी काबिज हो गई । जमाबन्दी सम्वत् 2009 ल0 13 में भी शिशपालसिंह, हरदेवसिंह मु0 गिन्दोड़ी को बहिस्से बराबर अंकित किया हुआ है और इसी प्रकार आज भी मौके पर विवादित आराजी से वादनी 1/3 भाग पर शामलात में काबिज है और काश्त करती व जमा सरकारी अदा करती चली आ रही है । शिशपाल के 1/3 भाग पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 8 ल0 12 काबिज है । बन्दोबस्त हाल में प्रतिवादीगण के बुजुर्गान ने अपने नाम का इन्द्राज करवा लिया जो गलत है । विवादित आराजी पर वादनी जब काश्त करने गयी तो प्रतिवादीगण ने कहा कि इस आराजी पर तुम्हारा नाम नहीं है । इसलिए काश्त नहीं करने देगें । इस इन्द्राज को सही करवाने को कहां तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया । इस प्रकार वादिनी का दावा डिक्री किया जावें और वादनी 1/3 भाग की तथा प्रतिवादी सं0 1 ल0 7 1/3 भाग के तथा प्रतिवादी सं0 8 ल0 12 1/3 भाग के खातेदार घोषित करने का निवेदन किया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2013 से हाल में वादिनी के नाम उक्त आराजीयात के 1/3 भाग पर इन्द्राज किया जावें । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । साथ ही वादिनी व प्रतिवादीगण द्धारा राजीनामा दि0 1.5.89 को तहरीर कराकर प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों द्धारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा दि0 8.1.98 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 8.1.98 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

व अधिकारी एवं पदेन
...कारी, अलवर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया विवादित आराजी में अपीलांट की दत्तक माता मु0 गिन्दोड़ी देवी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में से 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग हिस्सा कायम किये जाने बाबत तहत न्यायालय में वाद दायर किया था । उक्त वाद में प्रति0 एवं वादनी के बीच आपसे में 1/3 हिस्से का राजीनामा हुआ और उक्त राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग–अलग हिस्से का खातेदार घोषित करने व राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से हिस्सों का वर्णन निर्णय में नहीं किये जाने के कारण जमाबन्दी में अपीलांट की माता मु0 गिन्दोड़ी देवी का 1/3 हिस्सा अलग से नहीं हो पाया । हाल ख0 नं0 453, 457, 423 एवं 509 में अपीलांट का 1/3 हिस्सा होना चाहिए किन्तु राजस्व रेकार्ड में 1/12 हिस्सा अंकित कर दिया जो दुरूस्त किया जाकर 1/3 भाग किया जावें व हाल ख0 नं0 670 व 673 पर अपीलांट का कब्जा है जो मौके पर आराजी सही है किन्तु रेकार्ड में 673 रकबा 11 ऐयर व 670 रकबा 28 ऐयर है जो दुरूस्त होकर कुल रकबा 38 ऐयर होना चाहिए । इसके साथ ही ख0 नं0 673 पर मु0 गिन्दोड़ी देवी का कब्जा काश्त है किन्तु रेकार्ड में दूसरे का नाम अंकित है जबकि गिन्दोड़ी देवी का नाम अंकित होना चाहिए । साबिक ख0 नं0 834 के हाल ख0 नं0 673 रकबा 11 बिस्वा व ख0 नं0 674 रकबा 23 बिस्वा किया गया है जिसके ख0 नं0 673 रकबा 11 बिस्वा पर अपीलांट की दत्तक माता का कब्जा है जिसे भी दुरूस्त किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक राजीनामा के सभी पक्षकारान का अलग–अलग हिस्सा अंकित नहीं किया गया और निर्णय व डिकी पारित कर दी गई । अपीलांट का ख0 नं0 453, 457, 509 में 1/12 की जगह 1/3 हिस्सा होना चाहिए तथा ख0 नं0 423 में सभी पक्षकारान का 1/6 हिस्सा होना चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त करते हुए अपीलांट का 1/3 हिस्सा दर्ज करके खातेदार काश्तकार हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने एवं ख0 नं0 670 रकबा को 28 ऐयर तथा ख0 नं0 673 रकबा 11 ऐयर राजस्व रेकार्ड में दूसरे के नाम है जिसे अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4 व 5 ने भी लिखित बहस प्रस्तुत करने हुए बताया कि तहत न्यायालय में प्रस्तुत मुताबिक राजीनामा के आधार पर ख0 नं0 453, 457, 509, 423 का 1/3 भाग व 661, 664 का 1/3 भाग तथा ख0 नं0 670 रकबा 28 ऐयर, 673 रकबा 11 ऐयर तथा जो खसरा नम्बर पर सभी हिस्सेदारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रेकार्ड एवं हाल जमाबन्दियों में रेकार्ड गलत इन्द्राज किया गया है । यदि उक्त खसरा नम्बरान को दुरूस्त किया जाता है तो रेस्पो0 को कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है क्योंकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज किया है । साथ ही अपीलांट का 1/12 हिस्सा जो दर्ज किया गया है, गलत दर्ज किया गया है जबकि 1/3 भाग का हिस्सेदार अपीलांट है । रेस्पो0 के उक्त इन्द्राज जो गलत राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये हैं उसे कलमजन किया जाता है तो उसमें हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, दुरूस्त किया जावें जिससे अपीलांट व रेस्पो0 में आगे किसी प्रकार की मुकदमेबाजी ना हो ।

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया राजीनामा दि0 1.5.89 का अवलोकन किया गया जिसमें तहत न्यायालय द्वारा मुताबिक बरूऐ राजीनामा निर्णय व डिक्री पारित की गई है किन्तु राजस्व रेकार्ड में उसी अनुरूप विवादित आराजी राजीनामा अनुसार अपीलांट के नाम दर्ज रेकार्ड नहीं की गई है जो किया जाना चाहिए । विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा भी अपनी बहस में यहीं जाहिर किया है कि मुताबिक राजीनामानुसार राजस्व रेकार्ड व हाल जमाबन्दी में गलग इन्द्राज दुरूस्त कर दिया जावें उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है तथा जो अपीलांट का विवादित आराजी में 1/12 हिस्सा दर्ज किया है वह गलत है जबकि अपीलांट 1/3 हिस्से की आराजी का हिस्सेदार है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि बरूऐं राजीनामा दि0 1.5.89 के अनुसार डिक्री का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान के उसी रूप में किया जाना सुनिश्चित करें जिस रूप में पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है । इसलिए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश बहरोड़ का निर्णय व डिक्री दि0 8.1.98 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आपके न्यायालय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 1.5.89 अनुसार बरूऐ राजीनामा डिक्री का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में उसी रूप में कराया जाना सुनिश्चित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner